



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०



5251-11/16

छोटे लाल तनय केमला प्रसाद पाण्डेय उम्र 79 वर्ष निवासी ग्राम अकौरी तह०त्यौथर जिला रीवा म०प्र० आवेदक / निगरानी कर्ता

बनाम

भोला प्रसाद पाण्डेय तनयस केमला प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम अकौरी तह० त्यौथर जिला रीवा म०प्र० अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

आवेदन पत्र वावत पुर्नस्थापित किए जाने प्र०क०

3995 / निग० / 3 / 2013 अदम पैरवी मे निरस्त

दिनांक 11-5-16

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म०प्र०भू०रा०

संहिता 1959

श्रीमान राजस्व मण्डल  
गवालियर सर्किट कोर्ट  
रीवा म०प्र०

06-6-16

रीवा  
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है —

1- यह कि उक्त उनमान निगरानी प्रकरण क्रमांक 3995/3/2013 माननीय न्यायालय मे बिचाराधीन था । जो दिनांक 11-5-16 को उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी मे निरस्त हो गया ।

2- यह कि निगरानी कर्ता बृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र 79 वर्ष तथा वह प्रत्येक पेशी मे माननीय न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो सकता । इस कारण प्रकरण की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया था । तथा अधिवक्ता महोदय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जानकारी देने हेतु कहा गया था किन्तु कोई जानकारी नहीं दी गयी । दिनांक 5-6-16 को अधिवक्ता महोदय श्री अंगिरा प्रसाद एड० से प्रकरण की जानकारी चाहे जाने पर अधिवक्ता

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. M. 5251-II/16..... जिला : सीवा

द्वैतेलाल पाण्डेय। मोला प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.5.17.	<p>1- आवेदक की ओर से श्री अजय पाण्डेय एड. 35/</p> <p>2. आवेदक द्वारा यह आवेदन संश्लेषण द्वारा 35(3) के तहत प्रकाश बुक नं R 3995/सिवा/सीन/13 अर्द्ध पेरणी दिनांक 11-5-16 को पुनर्व्यापक हेतु प्रस्तुत किया गया है। पुनर्व्यापक पर कृत गया गया प्रकाश का अप्रतीकृत किया। पुनर्व्यापक आवेदन समीक्षा में प्रस्तुत किया गया है अतः प्रकाश बुक नं R. 3995-सीन/13 पुनः नमूदा के लिये जारी है प्रकाश चालू किया जाये।</p> <p>3. प्रकाश बुक नं से समाप्त होकर द.द. है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	<p>पुनर्व्यापक दिया जाये है</p> <p>21/</p> <p>→</p>